

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक
समस्त राजकीय, अनुदानित, स्ववित्तपोषित एवं अल्पसंख्यक
बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय/संस्थान,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

पत्रांक: बी०एड०/०५/३३७१
दिनांक 16.05.2019

विश्वविद्यालय में बी०एड०(द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम सत्र 2015-17 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के कुछ छात्र/छात्राओं एवं संस्थानों के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सत्र के छात्र/छात्राएँ मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण (Fail) रह गये थे एवं उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराई गई बैंक पेपर परीक्षा में किसी कारण सम्मिलित नहीं हो सके थे।

मा० कुलपति जी द्वारा छात्र हित में ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं जो बी०एड० सत्र 2015-17 (द्विवर्षीय- पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालय नियमानुसार (परीक्षा समिति के निर्देशानुसार) अतिरिक्त शुल्क रुपये 5000/- के साथ केवल भूतपूर्व (EX.) परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित कराने का आदेश प्रदान किया है।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आपके महाविद्यालय/संस्थान में बी०एड० सत्र 2015-17-वर्ष 2016 प्रथम वर्ष एवं सत्र 2015-17-वर्ष 2016 द्वितीय वर्ष का कोई भी ऐसा छात्र/छात्रा जो उक्त सत्र की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण (Fail) हो का विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuweb.in पर बी०एड० पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफार्मों के साथ दिनांक 25.05.2019 तक केवल भूतपूर्व (EX.) छात्र/छात्राओं के रूप में परीक्षाफार्म भरवा कर नियमानुसार विश्वविद्यालय में अलग से जमा कराने का कष्ट करें एवं साथ ही परीक्षाफार्म के साथ बी०एड० सत्र 2015-17-वर्ष 2016 प्रथम वर्ष एवं सत्र 2015-17-वर्ष 2016 द्वितीय वर्ष (Fail) की अंकतालिका जरूर संलग्न करें। उक्त सत्र के किसी भी छात्र/छात्रों को बैंक पेपर परीक्षाफार्म भरने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

नोट- ऐसे छात्र/छात्राएँ जो उक्त सत्र में उत्तीर्ण हो उनको किसी तरह का परीक्षाफार्म भरने की अनुमति नहीं है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित समस्त महाविद्यालय/संस्थान सम्बद्ध चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना से अपने महाविद्यालय/संस्थान के विद्यार्थियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
2. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सचिव प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
4. संकायाध्यक्ष शिक्षा, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. परीक्षा नियन्त्रक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. व्यक्ति सहાયक-कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
7. वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी महादय के सूचनार्थ।
8. उपकुलसचिव (परीक्षा)।
9. प्रभारी (अति-गोपनीय/सामान्य भण्डार)।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे छात्र हित में समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
11. वि०वि० द्वारा अधिकृत कम्पनी को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षाफार्म भली भौति जाँच कर भरवाएँ जाने हेतु।


उपकुलसचिव
बी०एड०(परीक्षा)